भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 2292**

दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम के चाय बागानों में श्रमिक शक्ति का अभाव

2292. **श्री पंकज बोराः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि असम के चाय बागान श्रमिक शक्ति की भारी कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे उच्चतर भुगतान करने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तथा अन्य निजी क्षेत्र विकास श्रम प्रोत्साहन योजना की तरफ तेजी से उन्मुख हो रहे हैं;

(ख) क्या गत डेढ़ वर्ष के दौरान असम में श्रमिक शक्ति की 10–12 प्रतिशत की कमी हो गई है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि परंपरागत कामगार और नैमित्तिक कामगार चाय उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं;

(घ) क्या सरकार चाय उद्योग के हित में बहिर्गमन से निपटने के लिए कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) से (ग) : असम के चाय बागानों को श्रमिकों की अनुपस्थिति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो मनरेगा तथा अन्य विकास परियोजनाओं के अंतर्गत लघु अवधि रोजगार योजनाओं में काम शुरू कर देते हैं । लगभग प्रति दिन 10-15% श्रमिकों की कमी रहती है । यह सत्य है कि परम्परागत एवं अनियत श्रमिक चाय बागानों के लिए महत्वपूर्ण हैं । तथापि, श्रमिकों की अनुपस्थिति में प्रबंधन उपलब्ध श्रमिकों के साथ महत्वपूर्ण फार्म प्रचालन करने के प्रयास करता है ।

(घ) से (च) : चाय श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत कौशलविहीन मानविक कार्य करने के लिए अतिरिक्त भत्ते वाले रोजगार तलाशने से नहीं रोका जाता है बशर्ते चाय बागान संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हों । चूँकि रोजगार एक वर्ष में 100 दिनों तक सीमित होता है, अतः चाय श्रमिम अन्यत्र नहीं जाते/अन्यत्र स्थापित नहीं होते हैं । कुछ फार्म प्रचालनों के मशीनीकरण से इस समस्या का समाधान हो सकता है और चाय बोर्ड ने एक स्कीम का सुझाव दिया था । परन्तु असम में श्रमिक यूनियन द्वारा इस विचार के विरोध के कारण यह स्कीम शुरू नहीं की जा सकी है ।